संख्या- 8/2026/174/78-2-2026 ई-253032

प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी,
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 मार्च,2026

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य सी.एस.सी. 3.0 योजना विस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-367134/78-2-2025-ई-253032, दिनांक 31-10-2025 एवं पत्र संख्या-367134(1)/78-2-2025-ई-253032, दिनांक 10-11-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सी.एस.सी. 3.0 योजना अन्तर्गत जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के साथ अनुबन्धित डी.एस.पी. संस्थाओं द्वारा विस्तारित पीबीजी डीईजीएस सोसाइटी के पक्ष में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी, उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है।

3- अतः प्रदेश में वर्तमान में संचालित सी.एस.सी. 3.0 परियोजनान्तर्गत क्रियाशील जन सेवा केन्द्रों के द्वारा आमजनमानस को शासकीय सेवाओं का लाभ ऑनलाईन माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस व्यवस्था के आगामी चरण (सी.एस.सी. 4.0) के निर्बाध रूप से कार्य करने सम्बन्धी कार्ययोजना प्रक्रियारत है व शीघ्र ही दिशा-निर्देश निर्गत किए जाएंगे।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ऑनलाइन सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रखने हेतु पूर्व से कार्यरत/अनुबंधित डी.एस.पी. संस्थाओं के अनुबंध की समय-सीमा पूर्ववत शर्तों के अनुरूप दिनांक 30.06.2026 (तीन माह) तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदानुसार अपने स्तर पर उनकी परफॉर्मेन्स बैंक गारण्टी (पी.बी.जी.) की समयावधि विस्तारित करते हुए अनुबंध की समय-सीमा दिनांक 30 जून, 2026 तक बढ़ाए जाने व ऑनलाइन सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग यादव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, लखनऊ।

2- डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) संस्थाओं को सम्बन्धित जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के पक्ष में विस्तारित पी.बी.जी. उपलब्ध कराने हेतु राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमती नगर, लखनऊ।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राहुल सिंह,

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।